CIT/M9TC/D.No.93

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART–II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2013.

(INCOME-TAX)

S.O. ___(E).– In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-section (1) of section 35CCD of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (10th Amendment) Rules, 2013.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the said rules), after rule 6AAE, the following shall be inserted, namely:-

"6AAF. Guidelines for approval of skill development project under section 35 CCD.—

(1) A skill development project shall be considered for notification if it is undertaken by an eligible company and the project is undertaken in separate facilities in a training institute.

(2) The eligible company, before undertaking any skill development project, shall make an application for notification of such project under sub-section (1) of section 35CCD, in duplicate, in Form No. 3CQ, to the National Skill Development Agency (hereinafter referred to as the NSDA).

(3) The eligible company shall also send a copy of the application in Form No. 3CQ to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, having jurisdiction over the case, accompanied by the acknowledgement receipt as evidence of having furnished the application form in duplicate to the NSDA.

(4) The application shall be accompanied by the following, namely :–

(a) detailed note on the skill development project to be undertaken by the eligible company;

(b) details of the expenditure expected to be incurred on the project and expected date of completion of the project; and

(c) a letter of concurrence from the training institute in which the skill development project is to be undertaken.

(5) If any defect is noticed in the application referred to in sub-rule (2) or if any relevant document is not attached thereto, the NSDA shall, before the expiry of one month from the date of receipt of the application in its office, intimate the defect to the applicant for its rectification.

(6) The applicant shall remove the defect within a period of fifteen days from the date of such intimation or within such further period as, on an application made in this behalf, may be extended by the NSDA, so however, that the total period for removal of the defect does not exceed thirty days, and if the applicant fails to remove the defect within such period so allowed, the NSDA shall send its recommendation for treating the application as invalid to the CBDT.

(7) On receipt of recommendation of the NSDA under sub-rule (6), the CBDT, if satisfied, may pass an order treating the application as invalid.

(8) If the application form is complete in all respects, the NSDA may make such inquiry or call for such documents from the eligible company or the training institute as it may consider necessary for satisfying itself regarding the genuineness of the current and proposed activity of the applicant and send its recommendation to the CBDT for grant of approval or rejection of the application before the expiry of the period of two months to be reckoned from the end of the month in which the application form complete in all respects was received in its office.

(9) The Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, having jurisdiction over the case shall send his recommendation to the NSDA for grant of approval or rejection of the application, after considering the compliance of the applicant with the various provisions of Income-tax Act, 1961 and Wealth-tax Act, 1957, before the expiry of the period of one month to be reckoned from the end of the month in which the copy of the application was received in his office.

(10) If the NSDA recommends the grant of approval under sub-rule (8), the CBDT shall, within a period of fifteen days from the end of the month in which it receives the report from the NSDA, under sub-section (1) of section 35CCD, issue a notification in Form No. 3CR to be published in the Official Gazette specifying the skill development project subject to conditions mentioned in rule 6AAG or such other conditions, as it may deem fit, to be effective for such period not exceeding three assessment years and if the NSDA recommends the rejection of the application under sub-rule (8), the CBDT shall pass an order rejecting the application.

(11) If the CBDT is satisfied with the activities of the skill development project during the period of notification, it may notify the said project for a further period in consultation with the NSDA.

(12) A copy of the notification issued under sub-rule (10) or sub-rule (11) shall be sent to the applicant, the NSDA, the training institute and the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, having jurisdiction over the case.

(13) The CBDT may rescind the notification issued under sub-rule (10) or sub-rule (11) at any time, if it is satisfied that the eligible company or the training institute, as the case may be, has ceased its activities or its activities are not genuine or the activities of the skill development project are not being carried out in accordance with all or any of the relevant provisions of the Act or this rule or rule 6AAG or the conditions subject to which the notification was issued.

(14) An order rescinding the notification shall not be passed unless the applicant has been given an opportunity of being heard in the matter.

(15) A copy of any order invalidating or rejecting the application or rescinding the notification shall be sent to the applicant, the training institute, the NSDA and the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, having jurisdiction over the case.

6AAG. Conditions subject to which a skill development project is to be notified under section 35CCD.

(1) The company undertaking skill development project shall maintain separate books of account of the skill development project notified under sub-section(1) of section 35CCD, and get such books of account audited by an accountant as defined in the *Explanation* below sub-section(2) of section 288.

(2) The audit report referred to in sub-rule (1) shall include the comments of the auditor on the true and fair view of the books of account maintained for skill development project, the genuineness of the activities of the skill development project and fulfillment of the conditions specified in the relevant provisions of the Act or the rules or the conditions mentioned in the notification issued under sub-rule (10) or sub-rule (11) of rule 6AAF.

(3) A skill development project in respect of existing employees of the company shall not be eligible for notification under sub-section (1) of section 35CCD, where the training of such employees commences after six months of their recruitment.

(4) All expenses (not being expenditure in the nature of cost of any land or building), incurred wholly and exclusively for undertaking a notified skill development project shall be eligible for deduction under section 35CCD :

Provided that any expenditure incurred on the skill development project which is reimbursed or reimbursable to the company by any person, whether directly or indirectly, shall not be eligible for deduction under section 35CCD.

(5) The company shall, on or before the due date of furnishing the return of income under sub-section(1) of section 139, furnish the audited statement of accounts of the skill development project for the previous year along with the audit report and amount of deduction claimed under sub-section (1) of section 35CCD to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be.

(6) If the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, is satisfied that the,-

(a) company has not maintained separate books of account for the skill development project or has not got such books of account audited by an accountant in accordance with sub-rule (1);
(b) company has not furnished the documents referred to in sub-rule (5);
(c) company has ceased to carry out activities of skill development project;
(d) activities of skill development project of the company are not genuine; or
(e) activities of the skill development project of the company are not being carried out in accordance with the relevant provisions of the Act or the rules or the conditions subject to which the notification was issued,

he shall, after making appropriate inquiries, furnish a report on the circumstances referred to in clause (a) to (e) to the CBDT for appropriate action under sub-rule (13) of rule 6AAF.

(7) If the NSDA is not satisfied about the genuineness of the activities of the notified skill development project, the NSDA shall send its recommendation to the CBDT for appropriate action under sub-rule (13) of rule 6AAF.

6AAH. Meaning of expressions used in rule 6AAF and rule 6AAG –

For the purposes of rule 6AAF and rule 6AAG –

(i) "eligible company" means a company, which is-

(a) engaged in the business of manufacture or production of any article or thing, not being an article or thing mentioned at serial number 1 and serial number 2 of the list of articles or things specified in the Eleventh Schedule; or

(b) engaged in providing services mentioned in column (2) of the Table below:

TABLE

S. No. (1)	Particulars (2)
1.	Accounting services
2.	Architect services
3.	Automobile repair or maintenance
4.	Banking, insurance and financial services including ATM installation, maintenance and operations or banking correspondents or insurance agents
5.	Beauty and cosmetology, including hair styling or manicurists or pedicurists
6.	Cable operators or Direct To Home (DTH) services
7.	Cargo Handling and stevedoring services
8.	Construction including painting or woodwork or plumbing or flooring or electrical wiring or installation or maintenance of lifts
9.	Courier services
10.	Design services including fashion or gems and jewellery or apparel or industrial designing
11.	Event management
12.	Facilities management, housekeeping, cleaning services
13.	Fire and safety services
14.	Food processing or preservation services, including post harvesting and post farm-gate skills
15.	Health and Wellness services including spa or nutritionists or weight management or health instructors or yoga or gym trainers
16.	Home decor services, landscaping
17.	Hospital and Healthcare services, such as Lab technicians, nursing and other paramedical staff
18.	Hospitality, including culinary skills or catering services
19.	Logistics and Transportation by any mode, including by air, sea, road, rail or pipelines, and related services such as driving or operation of heavy machinery equipment, forwarding agents, packers and movers

20.	Market research services
21.	Media or film or advertising
22.	Mining and extraction of mineral resources, including hydrocarbons
23.	Packaging and Warehousing, including both ambient temperature storage and cold storage, operation of Internal Container Depots and Container Freight Stations
24.	Port and maritime services such as dredging, piloting, tug boat operations, shipbuilding, ship scrapping, bunkering
25.	Power Sector Services, including those required for erection or installation or maintenance of equipment or towers, etc. in generation, transmission or distribution sector projects
26.	Private Security, including guards, supervisors, installation and maintenance of security equipment etc.
27.	Refrigeration and air-conditioning
28.	Repair and maintenance services, including Installation and servicing of household goods or white goods
29.	Retail marketing, including shop floor assistants or merchandisers
30.	Telecom services, including erection and maintenance of towers
31.	Travel and tourism, including guides or ticketing or sales or cab drives

(ii) "Training institute" means a training institute set up by the Central or State Government or a local authority or a training institute affiliated to National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training.

(iii) "National Council for Vocational Training" means the National Council for Training in Vocational Trades established by the resolution of the Government of India in the Ministry of Labour (Directorate General of Resettlement and Employment) No.TR/E.P. – 24/56, dated the 21st August 1956 and re-named as the National Council for Vocational Training by the resolution of the Government of India in the Ministry of Labour (Directorate General of Employment and Training) No.DGET/12/21/80-TC, dated the 30th September, 1981.

(iv) "State Council for Vocational Training" means a State Council for Training in Vocational Trades established by the State Government.".

3. In Appendix-II of the said rules, after Form No. 3CP, the following forms shall be inserted, namely:-

"FORM NO. 3CQ

[*See* rule 6AAF]

Application form for approval under sub-section (1) of section 35CCD of the Income-tax Act, 1961

1. (i) Name of the applicant company.

(ii) Address of the registered office of the applicant company.

(iii) Address of the principal place of business if it is different from registered office.

(iv) PAN of the Company.

(v) Date of incorporation of the company.

(vi) Enclose a copy of the Memorandum and Articles of Association.

(vii) If the skill development project of the company was notified earlier under sub-section (1) of section 35CCD, mention the notification number and date of the latest notification and furnish a copy of the same.

(viii) Nature of business

(ix) If notification issued under sub-section(1) of section 35CCD was rescinded in the past, mention reasons on account of which the notification was rescinded.

[Enclose a copy of the Order(s) rescinding notification(s)]

(x) Date from which notification of skill development project is requested for.

(xi) Expected date of completion of project.

2. Purpose of the skill development project (Give a brief write up on the requirement of skill development project indicating the objectives of the project, stages of implementation, expected results and usefulness of the project.)

3. Details of expenses (other than land or building) expected to be incurred for skill development project.

4. Skill development projects undertaken by the applicant:
(i) skill development projects, if any, undertaken by the company during last five years along with their current status.
(ii) details of skill development projects, if any, which have been taken up in the past and which are underway on the date of filing of application.

5. Name and address of the training institute in which the skill development project is to be undertaken. (Enclose a copy of letter of concurrence from the training institute in which the skill development project is to be undertaken)

6. Details of Return of Income filed for the last three Assessment years:

Assessment Year	Turnover/ Gross receipts	Total income	Tax payable as per return	Tax Paid	Assessed income details

7. Enclose copy of audited annual accounts of the company for the last three years.

8. Whether any penalty under clause (c) of sub-section (1) of section 271 was levied on the company during the last five years and details thereof.

9. Whether any tax demand is outstanding on the date of filing application.

Certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief.

	....
Place	Signature
Date	....
	Designation
	....
	Full Address

FORM NO.3CR

[*See* rule 6AAF]

Form for notification of skill development project under sub-section (1) of section 35CCD of the Income-tax Act, 1961

1. Name, address and PAN of the company

2. Name and address of the training Institute in which the skill development project is to be undertaken

3. Title of the skill development project

4. Purpose of the skill development project

5. Reference No. and date of the application

6. Date of commencement of the skill development project

7. Duration of the skill development project in months

8. Assessment year(s) for which the skill development project was notified (not exceeding three years)

9. Total expenses likely to be incurred for the skill development project (other than land or building)

10. Conditions, if any, subject to which skill development project is notified.

Place :

(Signature)

Date :

(Name and Designation)

Copy to :

(1) The applicant.

(2) Training institute.

(3) National Skill Development Agency.

(4) The Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax.".

Notification No.54/2013, F.No.142/29/2012-SO(TPL)]

(J.Saravanan),
Under Secretary to the Government of India.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (9th Amendment) Rules, 2013, vide notification number S.O. 2017(E), dated the 4th July, 2013.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 15 जुलाई, 2013

(आय-कर)

का.आ.____ (अ).- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35गगघ की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (10वां संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6ककङ के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6ककच धारा 35गगघ के अधीन कौशल विकास परियोजनाओं के लिए मार्गनिर्देश.-

(1) कोई कौशल विकास परियोजना अधिसूचना के लिए विचारणीय होगी यदि वह किसी पात्र कंपनी के द्वारा प्रारंभ की जाती है और परियोजना को किसी प्रशिक्षण संस्थान में पृथक् सुविधाएं देती है ।

(2) पात्र कंपनी किसी कौशल विकास परियोजना को प्रारंभ करने से पहले धारा 35गगघ की उपधारा (1) के अधीन ऐसी परियोजना की अधिसूचना के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् राकौविअ कहा गया है) को, दो प्रतियों में, प्ररूप सं. 3गथ में आवेदन करेगा ।

(3) पात्र कंपनी मामले पर अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति आयुक्त आयकर या निदेशक आयकर को प्ररूप सं. 3गथ में आवेदन की एक प्रति भी भेजेगा जिसके साथ राकौविअ को दो प्रतियों में आवेदन प्ररूप भेजने के साक्ष्य के रूप में अभिप्राप्त की रसीद भी होगी ।

(4) आवेदन के साथ निम्नलिखत भी होंगे, अर्थात्:-

(क) पात्र कंपनी द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले कौशल विकास परियोजना का विस्तृत टिप्पण ;

(ख) परियोजना पर उपगत होने वाले संभावित व्यय के ब्यौरे और परियोजना के पूर्ण होने की संभावित तारीख ; और

(ग) प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सहमति पत्र जिसमें कौशल विकास परियोजना प्रारंभ होनी है ।

(5) यदि उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन में किसी त्रुटि की अवेक्षा है या यदि कोई संबंधित दस्तावेज उससे संबद्ध नहीं है राकौविअ उसके कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के समाप्त होने से पहले आवेदक को इस त्रुटि की परिशुद्धि के लिए सूचित करेगा ।

(6) आवेदक ऐसी सूचना की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर त्रुटि को दूर करेगा, जो इस निमित्त किए गए आवेदन पर राकौविअ द्वारा विस्तारित हो, त्रुटियों को दूर करने के लिए ऐसी कुल अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी और यदि आवेदक इस प्रकार अनुज्ञात ऐसी अवधि के भीतर त्रुटि को दूर करने में असफल रहता है तो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आवेदक के ऐसे आवेदन को अविधिमान्य रूप में समझने के लिए अपनी सिफारिश दे देगा ।

(7) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड उपनियम (6) के अधीन राकौविअ की सिफारिश प्राप्त होने पर, यदि उसका समाधान हो जाता है आवेदक को अविधिमान्य रूप में मानने के आदेश पारित कर सकेगा ।

(8) यदि आवेदन प्ररूप सभी संबंधों में पूर्ण है राकौविअ ऐसी जांच करेगा या पात्र कंपनी या प्रशिक्षण संस्थान से ऐसे दस्तावेज मांगेगा जो आवेदक की वर्तमान या प्रस्तावित क्रियाकलापों की असलियत के संबंध में उसके समाधान के लिए आवश्यक समझता हो और मास के अंत में अपने कार्यालय में सभी संबंधों में पूर्ण आवेदन प्ररूप प्राप्त हुआ हो दो मास की अवधि की समाप्ति से पहले अपनी सिफारिश केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, आवेदन के अनुमोदन या नामंजूर करने के लिए भेजेगा ।

(9) आवेदन का अनुमोदन करने या नामंजूर करने के लिए राकौविअ मामले की अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति आयुक्त आयकर या निदेशक आयकर को आयकर अधिनियम, 1961 और संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के विभिन्न उपबंधों के साथ आवेदन के अनुरूप विचार करने के पश्चात् एक मास की अवधि की समाप्ति से पहले जिसको उसके कार्यालय में आवेदन की प्रति प्राप्त हुई है अपनी सिफारिशें भेजेगा ।

(10) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, यदि उपनियम (8) के अधीन राकौविअ अनुमोदन प्रदान करने के लिए अपनी सिफारिश करता है, मास के अंत से जिसको राकौविअ से उसे रिपोर्ट प्राप्त होती है से पंद्रह दिनों के भीतर धारा 35गगघ की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित कराने को प्ररूप

संख्यांक 3गद में कोई अधिसूचना जारी कराएगा यदि नियम 6ककछ में वर्णित शर्तों या ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह उचित समझे, का समाधान हो जाता है कौशल विकास परियोजना ऐसी अवधि के लिए प्रभावी होगी जो तीन निर्धारण वर्षों से अनधिक नहीं होगी और यदि राकौविअ उपनियम (8) के अधीन आवेदन को नामंजूर करने की सिफारिश करता है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आवेदन निरस्त करने का कोई आदेश पारित करेगा ।

(11) यदि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अधिसूचना की अवधि के दौरान कौशल विकास परियोजना के क्रियाकलापों से समाधान हो जाता है को राकौविअ के परामर्श् से किसी और अवधि के लिए उक्त परियोजना को अधिसूचित करेगा ।

(12) उपनियम (10) या उपनियम (11) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की प्रति आवेदक, राकौविअ,' प्रशिक्षण संस्थान और मामले की अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति आयुक्त आयकर या निदेशक आयकर को भेजी जाएगी ।

(13) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड उपनयिम (10) या उपनियम (11) के अधीन जारी अधिसूचना को किसी भी समय विखंडित कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, पात्र कंपनी या प्रशिक्षण संस्थान ने अपने क्रियाकलाप से प्रविरत हो गया है या उसके क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं अथवा कौशल विकास परियोजना के क्रियाकलाप इस अधिनियम के सुसंगत सभी या किन्हीं उपबंधों या इसनियम या नियम 6ककघ अथवा उन शर्तों जिनके अधीन अधिसूचना जारी की गई थी, के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं ।

(14) अधिसूचना के विखंडन का कोई आदेश तब तक पारित नहीं होगा जब तक कि आवेदक को मामले की सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(15) आवेदन को अविधिमान्य या नामंजूर या अधिसूचना को विखंडित करने का कोई आदेश कि प्रति अवेदक, प्रशिक्षण संस्थान राकौविअ और मामले की अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति आयुक्त आयकर या निदेशक आयकर को भेजनी होगी ।

6ककछ. शर्तें जिनके अधीन रहते हुए कोई कौशल विकास परियोजना धारा 35गगघ के अधीन अधिसूचित हुई है -

(1) कौशल विकास परियोजना प्रारंभ करने वाली कंपनी धारा 35गगघ की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित कौशल विकास परियोजना के लेखों की पृथक् बहियां रखेगी और ऐसी लेखा बहियों की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा कराएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कौशल विकास परियोजना के लिए रखे गए लेखा पुस्तकों को कौशल विकास परियोजना के क्रियाकलापों की असलियत और अधिनियम या नियम के संबंधित उपबंधों या नियम 6ककच के उपनियम (10) या उपनियम (11) के अधीन जारी

अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूर्ण होने के बारे में सत्य और निष्पक्ष विचार लेखा परीक्षक के टीका टिप्पणियों में सम्मिलित होंगे ।

(3) धारा 35गगघ की उपधारा (1) के अधीन अधसूचना के लिए कंपनी के विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में कोई कौशल विकास परियोजना जहां ऐसे कर्मचारियों का प्रशिक्षण उनकी भर्ती के छह माह के पश्चात् प्रारंभ होता है, पात्र नहीं होगी ।

(4) किसी अधिसूचित कौशल विकास परियोजना प्रारंभ करने के लिए उपगत होने वाले पूर्णतया और अनन्य सभी व्यय (किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति में किए गए व्यय नहीं होंगे) धारा 35गगघ के अधीन कटौती के लिए पात्र होंगे:

परंतु कौशल विकास परियोजना में उपगत होने वाला कोई व्यय जिसको चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यक्ति द्वारा कंपनी को प्रतिपूर्ति कर दी है या करनी हो, को धारा 35 गगध के अधीन कटौती के लिए पात्र नहीं होगा ।

(5) कंपनी धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी जमा करने की नियत तारीख को या उसके पूर्व यथास्थिति आयुक्त आयकर यानिदेशक आयकर को धारा 35गगघ की उपधारा (1) के अधीन लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट और दावा की गई कटौती की रकम के साथ पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कौशल विकास परियोजना के लिए लेखों के लिए संपरीक्षित विवरणी देगा ।

(6) यदि यथास्थिति आयुक्त आयकर यानिदेशक आयकर का यह समाधान हो जाता है कि,-

(क) कंपनी कौशल विकास परियोजना के लिए पृथक् लेखा पुस्तकें नहीं रखती है या उपनियम (1) के अनुसरण में किसी एकाउंटेंट द्वारा लेखा संपरीक्षित ऐसी पुस्तकें नहीं हैं ;

(ख) कंपनी उपनियम (5) में निर्दिष्ट दस्तावेज नहीं देती है;

(ग) कंपनी कौशल विकास परियोजना के क्रियाकलाप करने से प्रविरत हो गई है;

(घ) कंपनी की कौशल विकास परियोजना के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या कंपनी के कौशल विकास परियोजना के क्रियाकलाप अधिनियम या नियमों के संबंधित उपबंधों या जारी की गई अधिसूचना के अधीन शर्तों के अनुसरण में नहीं की जा रही हैं,

वह समुचित जांच करने के पश्चात् खंड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों की रिपोर्ट नियम 6ककच के उपनियम (13) के अधीन समुचित कार्रवाई के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भेजेगा।

(7) यदि राकौविअ का अधिसूचित कौशल विकास परियोजना के क्रियाकलापों की वास्तविकता के संबंध में समाधान नहीं होता है राकौविअ नियम 6ककच के उपनियम (13) के अधीन समुचित कार्रवाई के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अपनी सिफारिश भेजेगा ।

6ककज. नियम 6ककच और नियम 6ककज में प्रयुक्त पदों के अर्थ-

नियम 6ककच और नियम 6ककछ के प्रयोजनों के लिए -

(i) "पात्र कंपनी" से कोई कंपनी अभिप्रेत है जो -

(क) किसी वस्तु या माल के विनिर्माण या उत्पादन के कार्य में लगी है किंतु सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या मालों की सूची में क्रम संख्यांक 1 और क्रम संख्यांक 2 में वर्णित किसी माल या वस्तु की वस्तु नहीं हैं; या

(ख) नीचे दी गई सारणी स्तंभ 2 में वर्णित सेवा देने में लगी है

सारणी

क्रम सं. (1)	विशिष्टियां (2)
1.	लेखा सेवाएं
2.	वास्तुविद् सेवाएं
3.	मोटरगाड़ी मरम्मत या अनुरक्षण
4.	बैंककारी, बीमा और वित्तीय सेवाएं जिसके अंतर्गत एटीएम स्थापन, अनुरक्षण और प्रचालन या बैंककारी पत्र व्यवहार या बीमा अभिकर्ता भी हैं
5.	सौंदर्य और प्रसाधन विज्ञान जिसके अंतर्गत केश सज्जा या हस्त प्रसाधक और नख प्रसाधक
6.	केबल प्रचालन या डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाएं
7.	स्थोरा हथालन और नौभरक सेवाएं
8.	संनिर्माण जिसके अंतर्गत रंगसाजी या काष्ठकर्म या नलसाजी या फर्श या विद्युत के तार डालना या लिफ्ट का संस्थापन या अनुरक्षण भी है
9.	कुरियर सेवाएं
10.	डिजाइन सेवाएं जिसके अंतर्गत फैशन या रत्न या आभूषण या वस्त्र या औद्योगिक डिजाइन भी है
11.	आयोजनों का प्रबंध
12.	सुविधाओं का प्रबंध , गृह व्यवस्था, सफाई सेवाएं
13.	अग्नि और सुरक्षा सेवाएं
14.	खाद्य प्रसंस्करण या परिरक्षण सेवाएं जिसके अंतर्गत उपज के पश्चात्

	और खेत के बाहर के कौशल भी हैं
15.	स्वास्थ्य और निरोग सेवाएं जिसके अंतर्गत स्पा या पोषक या भार प्रबंधन या स्वास्थ्य निदेशक या योग या व्यायाम प्रशिक्षक भी हैं
16.	गृह सज्जा सेवाएं, भू-दृश्य निर्माण
17.	चिकित्सालय और स्वास्थ्य देखरेख सेवाऐं जैसे प्रयोगशाला तकनीशियन, परिचर्या और अन्य पैरा चिकित्सीय कर्मचारीवृंद
18.	अतिथि सत्कार जिसके अंतर्गत पाक् कौशल या भोजन प्रबंध सेवाएं
19.	संभार तंत्र या किसी भी रीति से परिवहन जिसे अंतर्गत वायु मार्ग, समुद्र मार्ग, सड़क मार्ग, रेल या पाईप लाइन भी हैं और संबंधित सेवाएं जैसे चालन या भारी मशीनरी उपकरण, अग्रेषण अभिकर्ता या पैकिंगकर्ता और परिवाहक भी हैं
20.	बाजार अनुसंधान सेवाएं
21.	मीडिया या चलचित्र या विज्ञापन
22.	खनिजों के संसाधन का खनन और उत्साधन जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन भी हैं
23.	पैकिंग और भांडागारण जिसके अंतर्गत तापमान की दोनों सीमाओं का भंडारकरण और शीतागार भी हैं, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों का प्रचालन
24.	पत्तन, समुद्री सेवाएं जैसे झमाई, मार्गदर्शक, कर्षण नाव प्रचालन, जहाज निर्माण, जहाज स्क्रैप करना, बंकर करना, ईंधन भरना
25.	विद्युत सेक्टर सेवाएं जिसके अंतर्गत उत्पादन, पारेषण या वितरण सेक्टर की परियोजनाओं में उपस्करों या टावरों आदि का परिनिर्माण या स्थापन या अनुरक्षण के लिए जो अपेक्षित हैं
26	निजी सुरक्षा जिसके अंतर्गत रक्षक, पर्यवेक्षक और सुरक्षा उपस्करों आदि का स्थापन और अनुरक्षण
27.	प्रशीतलन और वातानुकूलन
28.	मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएं जिसके अंतर्गत गृहस्थी की वस्तुओं या श्वेत माल का स्थापन और सर्विसिंग भी है
29.	फुटकर क्रय विपणन जिसके अंतर्गत दुकान के सहायक और दुकानदार भी हैं
30.	दूरसंचार सेवाएं जिसके अंतर्गत टावरों का परिनिर्माण और अनुरक्षण भी है
31.	यात्रा और परिवहन जिसके अंतर्गत मार्गदर्शक या टिकट विक्रेता या विक्रय या कैब चालक भी है

(ii) "प्रशिक्षण संस्थान" से केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित कोई प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से सहबद्ध कोई प्रशिक्षण संस्थान अभिप्रेत है ;

(iii) "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" से भारत सरकार के श्रम मंत्रालय (पुनर्वास और नियोजन महानिदेशालय) संख्यांक टी आर/टीपी-24/56 तारीख 21 अगस्त, 1956 के संकल्प द्वारा स्थापित व्यावसायिक व्यापार में प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद् अभिप्रेत है और जिसे भारत सरकार के श्रम मंत्रालय (नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय) संख्यांक बीजीईटी/12/21/80 -टीसी तारीख 20 सितम्बर, 1981 के संकल्प द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण् परिषद् के रूप में पुनर्नामांकित है ;

(iv) "राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्" से राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण् परिषद् अभिप्रेत है ।"।

3. उक्त नियमों के उपाबंध 2 में प्ररूप 3गत के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररुप सं0 3गथ
[नियम 6ककच देखें]

आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 35गगघ की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन

1. (i) आवेदक कंपनी का नाम

(ii) आवेदक कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(iii) कारबार के मुख्य स्थान का पता यदि वह रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से भिन्न हो

(iv) कंपनी का पैन (स्थायी लेखा संख्यां)

(v) कंपनी के निगमन की तारीख

(vi) संगम ज्ञापन और अनुच्छेद की प्रति संलग्न करें

(vii) धारा 35गगघ की उपधारा (1) के अधीन यदि कंपनी की कौशल विकास परियोजना पूर्व में अधिसूचित की गई हो तो, नवीनतम अधिसूचना की अधिसूचना संख्या और तारीख उल्लिखित करें उसकी एक प्रति तैयार करें

(viii) कारबार की प्रकृति

(ix) यदि धारा 35गगघ की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना को विखंडन किया गया था, तो कारणों को उल्लिखित करें जिनके आधार पर अधिसूचना को विखंडित किया गया था [अधिसूचना/अधिसूचनाओं के विखंडन के आदेश/आदेशों की प्रति संलग्न करें]

(x) जिस कौशल विकास परियोजना की अधिसूचना से तारीख जिसके लिए आवेदन किया गया है

(xi) परियोजना के समापन की संभावित तारीख

2. कौशल विकास परियोजना का प्रयोजन (परियोजना के उद्देश्य, अनुपालन के प्रक्रम, अपेक्षित परिणाम और परियोजना की उपयोगिता दर्शित करते हुए कौशल विकास परियोजना की अपेक्षाओं पर संक्षिप्त लेख दें]

3. कौशल विकास परियोजना पर उपगत होने वाले संभावित व्यय के ब्यौरे (भूमि और भवन से भिन्न)

4. आवेदक द्वारा की गई कौशल विकास परियोजना :
(i) यदि कंपनी द्वारा पिछले पांच सालों में कोई कौशल विकास परियोजना प्रारंभ की गई हैं, तो उनकी वर्तमान प्रास्थिति ।
(ii) कौशल विकास परियोजना यदि कोई हो, जिसे पूर्व में प्रारंभ की गई हो और आवेदन फाइल करने की तारीख तक चल रहीं है तो उनके ब्यौरे ।

5. प्रशिक्षण संस्थान का नाम और पता जिसमें कौशल विकास परियोजना प्रारंभ की जानी है [प्रशिक्षण संस्थान से सहमति पत्र की प्रति संलग्न करें

जहां कौशल विकास परियोजना प्रारंभ की है]

6. अंतिम तीन निर्धारण वर्षों के लिए फाईल की गई आय की रिटर्न के ब्यौरे :

निर्धारण वर्ष	व्यापारावर्त/सकल अभिप्राप्ति	कुल आय	रिटर्न के अनुसार संदेय कर	संदत्त कर	निर्धारित आय के ब्यौरे

7. कंपनी के अंतिम तीन वर्षों के लिए संपरीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति संलग्न करें

8. क्या अंतिम पांच वर्षों के दौरान कंपनी पर धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कोई शास्ति उद्गृहीत हुई है और उसके ब्यौरे ।

9. क्या आवेदन के फाइल होने की तारीख को किसी बाकाया कर की मांग है

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोच्च ज्ञान और विश्वास से सही है ।

स्थान
तारीख

....
हस्ताक्षर

....
पदनाम

....
पूरा पता

प्ररुप सं0 3गद

[नियम 6ककच देखें]

आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 35गगघ की उपधारा (1) के अधीन कौशल विकास परियोजना की अधिसूचना के लिए प्ररुप

1. कंपनी का नाम, पता और पैन
2. जिसमें प्रशिक्षण संस्थान का नाम और पता जिसमें कौशल विकास परियोजना शुरु होना है
3. कौशल विकास परियोजना का शीर्षक
4. कौशल विकास परियोजना का प्रयोजन
5. आवेदन की संदर्भ सं0 और तारीख
6. कौशल विकास परियोजना के प्रारंभ की तारीख
7. मास में कौशल विकास परियोजना की कालावधि
8. निर्धारण वर्ष जिसके लिए कौशल विकास परियोजना अधिसूचित की गई थी (तीन वर्ष से अनाधिक)
9. कौशल विकास परियोजना पर उपगत होने वाला संभावित कुल व्यय (भूमि और भवन के अतिरिक्त)
10. शर्तें, यदि कोई हो जिसके अधीन रहते हुए कौशल विकास परियोजना के अधिसूचित की गई है

स्थान : (हस्ताक्षर)

तारीख : (नाम और पदनाम)

प्रति :

(1) आवेदक
(2) प्रशिक्षण संस्थान
(3) राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण
(4) आयुक्त, आय-कर विभाग/निदेशक, आय-कर विभाग ।"।

अधिसूचना सं0 54/2013, फा0सं0142/29/2012-एसओ(टीपीएल)]

जे.सरवणन

(जे.सरवणन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्यांक का.आ.969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित हुए थे तथा अंतिम संशोधन आय-कर (....9वां...संशोधन) नियम, 2013 अधिसूचना संख्यांक का.आ.2017(अ), तारीख 4 जुलाई 2013 द्वारा किया गया ।